

रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2002

क्रमांक 6144/1660/2002/21-ब.— भारतीय, क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (क्रमांक 15 सन् 1872) की धारा 6 तथा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, धर्म-कर्म कराने वाले (मिनिस्टर आफ रिलीजन) पास्टर के ए. जार्ज, इंडिया फुल गोस्पेल मिशन, राजनांदगांव को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय ईसाईयों के बीच :—

- (1) विवाह अनुष्ठापित कराने और,
- (2) भारतीय क्रिश्चियनों (ईसाईयों के बीच होने वाले विवाहों के प्रमाणपत्र देने हेतु) छत्तीसगढ़ राज्य के संपूर्ण जिलों के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर करता है.

No. 6144/1660/2002/21-B.—In exercise of the powers conferred by Section 6 and 9 of the Indian Christian Marriage Act, 1872 (No. 15 of 1872), the State Government are pleased to grant license to the Minister of Religion Paster K. A. George Indian Full Gospel Mission Rajnandgaon for the whole State of Chhattisgarh:—

- (1) The selomanise marriages, and
- (2) To grant certifies of marriage between the Indian Christians.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराधा खरे, उप-सचिव.